

## जनपद वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु जनउपयोगी विभागीय योजनाओं का विवरण

- 1- योजना का नाम— बिन्दु 9 पर अंकित है।
- 2- सम्बन्धित विभाग का नाम— महिला कल्याण उ0प्र0
- 3- कार्यालयाध्यक्ष का पदनाम— जिला प्रोबेशन अधिकारी
- 4- कार्यालय का पता— कलक्ट्रेट मु0नगर
- 5- कार्यालय का दूरभाष— शून्य
- 6- योजना के आरम्भ होने की तिथि— अगस्त 1995
- 7- योजना की समाप्ति की तिथि— शून्य
- 8- योजना का प्रकार—केन्द्रीय/राज्य/जिला/अन्य अनुदान धनराशि यदि कोई—शून्य
- 9- योजना का संक्षिप्त विवरण—

### 1- निराश्रित

#### महिला (पति की मृत्यु उपरान्त) पेंशन/अनुदान योजना:—

60 वर्ष से कम आयु की निराश्रित महिला (पति की मृत्यु उपरान्त) जिसका 18 वर्ष से कम आयु का नाबालिग पुत्र हो, को 300 रु0 प्रतिमाह की दर से पेंशन/अनुदान दिया जाता है। वर्तमान में जनपद मुजफ्फरनगर में कुल 17364 पात्र निराश्रित महिला को उक्त योजना का लाभ दिया जा रहा है।

### 2- निराश्रित

महिला (पति की मृत्यु उपरान्त) की पुत्री की शादी हेतु अनुदान योजना:— ऐसी निराश्रित महिला (पति की मृत्यु उपरान्त) की पुत्री की शादी हेतु, 10,000 रु0 का अनुदान इस शर्त पर दिया जाता है कि महिला इस कार्यालय से निराश्रित महिला (पति की मृत्यु उपरान्त) पेंशन/अनुदान का लाभ ले रही हो।

### 3- 35 वर्ष की

कम आयु की निराश्रित महिला (पति की मृत्यु उपरान्त) को पुर्नविवाह पर पुरस्कार योजना:— उक्त योजना में 35 वर्ष से कम आयु की निराश्रित महिला (पति की मृत्यु उपरान्त) से पुर्नविवाह करने पर दम्पति को पुरस्कार स्वरूप 11000/-रु0 की धनराशि प्रदान की जाती है।

### 4- दहेज

पीडित महिलाओं को आर्थिक व कानूनी सहायता:— ऐसी दहेज पीडित महिला जिनका वाद अन्तर्गत धारा 498 ए. व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में वाद विचाराधीन हो, को एक मुश्त 2500 रु0 की कानूनी सहायता तथा 125 रु0 प्रतिमाह आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

### 10- योजना के लिये निर्धारित अर्हता— उपर्युक्त एवं वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में रु0 19884 एवं शहरी क्षेत्र में रु0 25546 होनी चाहिए।

11- योजना किस वर्ग विशेष के लिये है अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछडा वर्ग/अल्पसंख्यक/विकलांग/सामान्य जाति/सीममान्त किसान/बी0पी0एल0/ए0पी0एल0— सभी वर्गों के लिये।

12- योजना का आवेदन करने की प्रक्रिया— ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम सभा के माध्यम से तथा भाहरी क्षेत्र में तहसील के माध्यम से।

13- आवेदन पत्र/फार्म प्राप्त करने का स्थान— शहरी क्षेत्र में तहसील एवं कार्यालय ग्रामीण क्षेत्र में ब्लाक एवं ऑनलाईन

14- आवेदन पत्र/फार्म का शुल्क— शून्य

15- आवेदन पत्र /फार्म के साथ लगने वाले आवश्यक संलग्नको का विवरण— राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र,

16- यदि आवेदन ऑनलाईन है तो वेबसाईट का एड्रेस— http:// लोकवाणी/जनवाणी केन्द्र

17- योजना के सम्बन्ध में दूरभाष पर जानकारी देने वाले कार्यालय के सम्पर्क सूत्र का पदनाम—मोबाइल नम्बर सहित जिला प्रोबेशन अधिकारी मो0न0 8923378580

18- योजना के सम्बन्धमें जानकारी/शिकायत करने के सम्बन्ध में विभाग का दूरभाष/टोल फ्री नम्बर/ई-मेल— directormahilakalyan@gmail.com

19- विभाग की वेबसाईट का एड्रेस—http://& directormahilakalyan@gmail.com

जिला प्रोबेशन अधिकारी  
मुजफ्फरनगर।